

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या 161/12

कैम्प ग्राम पंचायत कुचामनसिटी

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

मालचन्द कुमाल पुत्र नारायण लाल
जाति कुमाल

① दीरालाल पुत्र नारायण लाल जाति कुमाल
हनुमानसिटी

② तहसीलदार कुचामनसिटी

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 11/7

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री मालचन्द कुमाल
पुत्र नारायण लाल जाति कुमाल निवासी हनुमानसिटी तहसील कुचामनसिटी
जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम कुचामनसिटी की खाता संख्या / खसरा
नम्बर 1295, 1303, 1304, 1305, 1306 में श्री मालचन्द पुत्र नारायण
जाति कुमाल अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड / पहचान पत्र / आधार
कार्ड में सही नाम मालचन्द कुमाल पुत्र नारायण लाल है, इसलिए उक्त खाता में
गलत नाम हटाकर सही नाम का रिकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई।
कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट कैम्प कुचामनसिटी में पेश करे।
पत्रावली कैम्प कुचामनसिटी में पेश हुई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने
पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु कैम्प
में दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व
वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का
वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या / खसरा नम्बर 1295
1303, 1306, 1512, 1513, 1514, 1515 में वादी श्री मालचन्द पुत्र नारायण
निवासी हनुमानसिटी की जगह वादी का सही नाम मालचन्द कुमाल
पुत्र नारायण लाल जाति कुमाल निवासी कुचामनसिटी
दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल
किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7 को सरे आम कैम्प में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)